दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांची जनगणना २०११ चा खर्च भागविण्याकरीता तरतूद करण्याबाबत.

**महाराष्ट्र शासन**
ग्राम विकास व जल संधारण विभाग
शासन निर्णय क्रमांक : दारेग-२०११/प्र.क्र.४२/योजना-१
दिनांक १४ जुलै, २०११

वाचा :- १) केंद्रिय ग्रामीण मंत्रालयाचे पत्र क्र.क्यू-१६०२५/८/२००६-एआय (आरडी) (पीटी), दि.३१ मार्च, २०१०
२) वित्त विभाग, ज्ञापन क्र.आकनि-२०११/१२/अर्थसंकल्प-१७, दि.७.७.२०११

**शासन निर्णय :-** ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाचे सन २०११ मध्ये सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्याप्रित्यर्थ केंद्र शासनाने संदर्भाधीन क्र.१, दिनांक ३१ मार्च, २०१० च्या आदेशान्वये रु.१०,०५,००,००० (रु.दहा कोटी पाच लक्ष फक्त) इतक्या रकमेचा पहिला हप्ता महाराष्ट्र राज्याकरिता वितरीत केला आहे. संदर्भाधीन क्र.२ च्या ज्ञापनान्वये या सर्वेक्षणाकरीता आकस्मिकता निधीतून रु.१०,०५,००,००० (दहा कोटी पाच लक्ष फक्त) इतके अग्रिम मंजूर करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबाचे सर्वेक्षण २०१०-११ चा खर्च भागविण्याकरीता सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे आकस्मिकता निधीतून रु.१०,०५,००,००० कोटी (दहा कोटी पाच लक्ष फक्त) इतका निधी या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे.

२. उक्त सर्वेक्षणाकरीता असलेल्या रकमा संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांचेकडे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून सुपूर्द करण्यात येत आहेत.

३. प्रस्तुत बाबींसाठी आकस्मिकता निधीतून आगाऊ रक्कम म्हणून मंजूर केलेल्या रुपये १०.०५ कोटी (रुपये दहा कोटी पाच लक्ष) इतक्या रक्कमेची आकस्मिकता निधीमध्ये भरपाई करण्याची पुरवणी मागणी विधानमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात सादर करण्यात येत आहे.

४. उपरोक्त खर्च वित्त विभागाने ज्ञापन क्र.आकनि-२०११/१२/अर्थसंकल्प-१७, दि.७.७.२०११ व आकस्मिकता निधी संकेतांक (८०००५८८५) नुसार मंजूर झालेल्या रुपये १०.०५ लक्ष आकस्मिकता निधी अग्रिमातून भागविण्यात यावा.

५.        आकस्मिकता निधीची भरपाई केल्यावर सदर खर्च सन २०११-१२ च्या मागणी क्र.एल-३, २५१५, इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, १९६ जिल्हा परिषदांना/जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहायक (००) (०५) दारिद्रयरेषेखालील व्यक्तींच्या जनगणनेसाठी सहायक अनुदान (सर्वेक्षण २०१०) ३१, सहायक अनुदान (२५१५-१९२६) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या रक्कमेच्या देयकावर " आकस्मिकता निधी अग्रिम" असे लाल शाईने ठळक अक्षरांत नमूद करण्याची आहरण व संवितरण अधिका-यांनी खबरदारी घ्यावी तसेच आकस्मिकता निधीतून खर्च करताना सादर करण्यात येणा-या देयकावर आकस्मिकता निधी अग्रिम वित्त विभाग, ज्ञापन क्र.आकनि-२०११/१२/अर्थ-१७, दि.७.७.२०११ व आकस्मिकता निधी संकेतांक (८०००५८८५) अन्वये मंजूर असे लाल शाईने लिहावे.

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२३/व्यय-१५/२०११, दि.१७.६.२०११ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०११०७१४१६५४१७००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने

**(किशोर गायकर)**
**कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन**

**प्रत :-**

महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र -१ मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर
महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, मुंबई (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र -१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर
सह संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई
अधिदान व लेखा अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी (सर्व)
विभागीय आयुक्त (सर्व)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा अध्यक्ष, कार्यकारी समिती जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (सर्व)
उप आयुक्त (आस्था), (विकास) (सर्व)
प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (सर्व)
वित्त विभाग अर्थ-१७, अर्थ-३, व्यय-१५
सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग
अवर सचिव, कार्यासन योजना-७/वित्त-१,
निवड नस्ती, कार्यासन योजना-१, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग

# जोडपत्र

| शासन निर्णय क्र.दारेग-२०११/प्र.क्र.४२/योजना-१, दि. १४ जुलै, २०११ चे जोडपत्र | | | |
|---|---|---|---|
| दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबाची जनगणना २०१०-११ | | | |
| अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरित करावयाचा निधी (रु.दहा कोटी पाच लक्ष फक्त) | | | |
| अ.क्र. | जिल्हा | २५१५ - इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम,<br>१९६ जिल्हा परिषदांना/जिल्हास्तरीय पंचायतीना सहाय्य<br>(००) (०५) दारिद्रय रेषेखालील व्यक्तींच्या जनगणनेसाठी सहायक अनुदान (सर्वेक्षण/२०१०) (२५१५ १९२६)<br>३१ सहायक अनुदान. | |
| | | दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब जनगणना २०१०-११ करीता निधी रुपये. (रु.हजारात) | एकूण रक्कम (रु.हजारात) |
| १ | ठाणे | ४१७९.०० | ४१७९.०० |
| २ | रायगड | ३०२८.०० | ३०२८.०० |
| ३ | रत्नागिरी | २८०४.०० | २८०४.०० |
| ४ | सिंधूदुर्ग | १४५१.०० | १४५१.०० |
| ५ | नाशिक | ४११७.०० | ४११७.०० |
| ६ | धुळे | २४८७.०० | २४८७.०० |
| ७ | नंदूरबार | १९३९.०० | १९३९.०० |
| ८ | जळगाव | ४९०६.०० | ४९०६.०० |
| ९ | अहमदनगर | ५६८८.०० | ५६८८.०० |
| १० | पुणे | ४९९६.०० | ४९९६.०० |
| ११ | सातारा | ४२८९.०० | ४२८९.०० |
| १२ | सांगली | ३२८१.०० | ३२८१.०० |
| १३ | सोलापूर | ४५७१.०० | ४५७१.०० |
| १४ | कोल्हापूर | ४४८१.०० | ४४८१.०० |
| १५ | औरंगाबाद | ३०६४.०० | ३०६४.०० |
| १६ | जालना | २१८७.०० | २१८७.०० |
| १७ | परभणी | १९१७.०० | १९१७.०० |
| १८ | हिंगोली | १३६९.०० | १३६९.०० |
| १९ | बीड | ३२४८.०० | ३२४८.०० |
| २० | नांदेड | ३५९८.०० | ३५९८.०० |
| २१ | उस्मानाबाद | २२६७.०० | २२६७.०० |
| २२ | लातूर | २६२६.०० | २६२६.०० |
| २३ | बुलडाणा | ३३४६.०० | ३३४६.०० |
| २४ | अकोला | १९२८.०० | १९२८.०० |
| २५ | वाशिम | १६३२.०० | १६३२.०० |
| २६ | अमरावती | ३३४९.०० | ३३४९.०० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| २७ | यवतमाळ | ४०३७.०० | ४०३७.०० |
| २८ | वर्धा | १७५२.०० | १७५२.०० |
| २९ | नागपूर | २८६०.०० | २८६०.०० |
| ३० | भंडारा | १८०५.०० | १८०५.०० |
| ३१ | गोंदिया | २०००.०० | २०००.०० |
| ३२ | चंद्रपूर | २८४०.०० | २८४०.०० |
| ३३ | गडचिरोली | १६५८.०० | १६५८.०० |
| | **एकूण** | **१००५००.००** | **१००५००.००** |